फा.सं.12 (39) / 2018-एईआई (15446)

भारत सरकार

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 4 मई, 2020

अधिसूचना

विषय: सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 (संशोधन) - आदेश के अनुपालन में ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव घटकों को अधिसूचित करने के संबंध में।

संदर्भ: औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के अधिसूचना सं०पी- 45021/2/2017-पीपी (बी.ई.-II) दिनांक 29-04-2019

सरकार ने 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने तथा आय और रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण तथा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की अधिसूचना सं०पी- 45021/2/2017-पीपी (बी.ई.-II) दिनांक 29-04-2019 के द्वारा सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 (संशोधन) जारी किया है।

2. उपरोक्त उल्लिखित संदर्भ द्वारा अधिसूचित, सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 (संशोधन) - आदेश के अनुपालन में भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (एचआई एंड पीई) एतदद्वारा अधिसूचित करता है कि पूर्वोक्त आदेश के अनुसार घरेलू रूप से निर्मित ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव घटकों को सभी सरकारी खरीद संस्थाओं द्वारा वरीयता प्रदान की जाएगी।

3. राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 19.11.2018 में सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 (संशोधन) के तहत निम्नलिखित ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव घटकों को अधिसूचित किया जाता है, :

3.1. आईसी इंजन पर आधारित ऑटोमोबाइल

परिभाषा:

इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, ऑटोमोबाइल का मतलब होगा दो और तीन पहिया, यात्री वाहन, वाणिज्यिक वाहन आदि।

घरेलू रूप से निर्मित के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक स्थानीय सामग्री का प्रतिशत	**65%**

3.2. आईसी इंजन वाहनों के लिए मोटर वाहन घटक

परिभाषा :

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, मोटर वाहन घटक का मतलब होगा दो और तीन पहिया वाहनों, यात्री वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों आदि के निर्माण / रखरखाव के लिए आवश्यक घटक /पुर्जे।

घरेलू रूप से यथा निर्मित के योग्य होने के लिए आवश्यक स्थानीय सामग्री का प्रतिशत	**60%**

3.3 नीचे सूचीबद्ध घटकों के अलावा उन घटकों के संबंध में जिनकी खरीद का अनुमानित मूल्य 50 लाख भारतीय रूपए से कम है ऐसे ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल घटकों की खरीद में, केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ता ही बोली के लिए पात्र होंगे। हालांकि, निम्नलिखित मदों के लिए पर्याप्त स्थानीय क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा है, और इसलिए इन वस्तुओं के लिए उपरयुक्त पैरा के अनुसार न्यूनतम स्थानीय सामग्री को पूरा करने के लिए खरीद मूल्य के निरपेक्ष बोली लगाने के लिए केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ता पात्र होंगे।

(i)

क्र.सं.	आईसी इंजन पर आधारित ऑटोमोबाइल
1	यात्री वाहन (यात्री कार, यूटिलिटी वाहन, वैन)
2	वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी, एम एंड एचसीवी)
3	दुपहिया (मोपेड, स्कूटर, मोटरसाइकिल)
4	तिपहिया (माल और यात्री)

(ii)

क्र.सं.	आईसी इंजन वाहनों के लिए मोटर वाहन घटक
1	रबर के पार्ट
2	असबेसटोस पैकिंग जोइंट और गास्केट
3	ब्रेक लाइनिंग और पैड (एस्बेस्टोस युक्त)
4	असबेसटोस घर्षण सामग्री
5	ब्रेक लाइनिंग और पैड (एस्बेस्टस युक्त नहीं)
6	ऑटोमोटिव ग्लास
7	लीफ–स्प्रिंग्स: मोटर वाहनों के लिए
8	लीफ–स्प्रिंग्स: स्प्रिंग्स के लिए लीफ
9	हेलिकल स्प्रिंग्स
10	स्प्रिंग पिंस
11	ऑटोमोटिव पहियों
12	मोटर वाहनों के लिए प्रयुक्त एक प्रकार के ताले
13	सभी प्रकार के डीजल, पेट्रोल, हाइब्रिड इंजन और इंजन पार्ट्स

14	गैस कम्प्रेसर, टर्बो चार्जर
15	भागों - एयर कंडीशनिंग
16	आंतरिक दहन इंजन के लिए तेल या पेट्रोल-फिल्टर
17	आंतरिक दहन इंजन के लिए इनटेक एयर फिल्टर
18	एयर प्यूरीफायर या क्लीनर
19	फ़िल्टरिंग के लिए मशीनरी और उपकरण के भाग
20	सभी तरह के बेयरिंग
21	बॉलिंग या रोलर बियरिंग्स को शामिल करते हुए बियरिंग हाउसिंग
22	बॉलिंग या रोलर बीयरिंग सादे शाफ्ट बियरिंग्स को शामिल न करते हुए बियरिंग हाउसिंग
23	गियर और गियरिंग, दांतेदार पहियों के अलावा, चेन स्प्रोकेट और अन्य ट्रांसमिशन तत्वों को अलग से प्रस्तुत किया गया; बॉल या रोलर स्क्रू; गियर बॉक्स और टॉर्क कन्वर्टर्स सहित अन्य गति परिवर्तक
24	पुली, पावर ट्रांसमिशन
25	फ्लैक्सिबल कपलिंग
26	फ्लूइड कपलिंग
27	अन्य: यूनिवर्सल जोड़ों सहित क्लच और दस्ता कपलिंग
28	टूथ वाले पहिए, अलग से प्रस्तुत किए गए चेन स्प्रोकेट और अन्य ट्रांसमिशन तत्व; पुर्जे
29	एस्बेस्टस धात्विक पैकिंग और गास्केट (धातु धुंध या तार के साथ प्रबलित एस्बेस्टस बोर्ड के गास्केट को छोड़कर)
30	मेकेनिकल सील
31	स्पार्क प्लग
32	हेड लैंप, टेल लैंप, स्टॉप लैंप, साइड लैंप और ब्लिंकर
33	अन्य ऑटोमोबाइल प्रकाश उपकरण और ऑटोमोटिव लाइटिंग
34	होर्न्स
35	विंडस्क्रीन वाइपर, डिफॉस्टर और डिमिस्टर
36	सीलबंद लैम्प इकाइयाँ
37	इग्निशन वायरिंग सेट और वाहनों में इस्तेमाल होने वाले अन्य प्रकार के वायरिंग सेट
38	सुरक्षा सीट बेल्ट
39	गियर बॉक्स और उसके पुर्जे
40	डिफ्रेंशियल के साथ ड्राइव-एक्सल, अन्य ट्रांसमिशन घटक, गैर-ड्राइविंग एक्सल के साथ प्रदान किया गया है या नहीं; उसके पुर्जे
41	सड़क के पहिये और पुर्जे और सामान
42	मोटर वाहनों के लिए सस्पेंशन सिस्टम और उसके पुर्जे (शॉक अवशोषक सहित)

43	रेडिएटर और उसके हिस्से
44	साइलेंसर (मफलर) और निकास पाइप; उसके पुर्जे
45	क्लच और उसके हिस्से (सिंटेर्ड घर्षण सामग्री-एसएफएम उत्पाद)
46	स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग कॉलम और स्टीयरिंग बॉक्स; उसके पुर्जे
47	टैकोमीटर, गैर-विद्युत
48	अन्य ऑप्टिकल उपकरण और उपकरण: पुर्जे और सहायक उपकरण (माप और जाँच उपकरण-सेंसर)
49	उपकरण पैनल क्लॉक और वाहनों के लिए एक समान प्रकार के क्लॉक
50	मोटर वाहनों के लिए प्रयुक्त एक प्रकार की सीटें
51	इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जैसे मोटर, वायरिंग हार्नेस इत्यादि।
52	सस्पेंशन और ब्रेकिंग पुर्जे
53	अंदरूनी (गैर-इलेक्ट्रॉनिक)
54	बॉडी और चेसिस पुर्जे
55	ड्राइव ट्रांसमिशन और स्टीयरिंग
56	ऑटोमोटिव स्विच, इंस्ट्रूमेंट पैनल

4. अधिसूचना तुरंत प्रभाव से लागू की जाती है और समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

5. **स्थानीय सामग्री / घरेलू मूल्यवर्धन की परिकलन हेतु प्रक्रिया**

5.1 घरेलू विनिर्माताओं (डोम-बीओएम) से प्राप्त सामग्री के बिल की गणना उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से एक के आधार पर की जाएगी। इनमें से प्रत्येक परिकलन का परिणाम समनुरूप होना चाहिए।

क. उत्पादन किए जाने वाले सभी इनपुट् की कुल लागत (जिसमे क्रेडिट/सेट-ऑफ लिया जा सकता है, के अलावा इनपुट् की खरीद पर लगाए गए शुल्क और कर सहित) और जिनका आयात सीधे या घरेलू व्यापारी अथवा मध्यस्थ के माध्यम से नहीं किया गया है ।

ख. उत्पाद का फैक्टरी मूल्य माइनस उत्पाद के उत्पादन में (शुल्क और कर सहित इनपुट की खरीद पर लगाया गया, जिसके लिए क्रेडिट / सेट-ऑफ हो सकता है) इनपुट के रूप में उपयोग किए गए आयातित बिल (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से) माइनस वारंटी लागत।

ग. बाजार मूल्य माइनस पोस्ट-प्रोडक्शन फ्रेट, इंश्योरेंस और अन्य हैंडलिंग कॉस्ट माइनस प्रॉफिट टैक्स माइनस वारंटी कॉस्ट माइनस इनपुट के रूप में उपयोग की गई सामाग्री के आयातित बिल जिसका इस्तेमाल प्रोडक्ट्स के निर्माण में इनपुट्स के रूप में उपयोग की किया जाता है (इनपुट्स की खरीद पर लगने वाले डयूटी और टैक्स जिनमें क्रेडिट को छोड़कर सेट-ऑफ लिया जा सकता है) माइनस सेल्स और मार्केटिंग का खर्च।

5.2 सामग्री के कुल बिल (कुल-बीओएम) का परिकलन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक के आधार पर किया जा सकती है। इनमें से प्रत्येक परिकलन का परिणाम समनुरूप होना चाहिए।

क. उत्पाद के सभी इनपुट्स की कुल लागत (इनपुट्स की खरीद पर लगने वाले ड्यूटी और टैक्स जिनमें क्रेडिट को छोड़कर सेट-ऑफ लिया जा सकता है)
ख. उत्पाद का फ़ैक्टरी मूल्य माइनस कर के बाद लाभ माइनस वारंटी लागत।
ग. मार्केट प्राइस माइनस पोस्ट-प्रोडक्शन फ्रेट, इंश्योरेंस और अन्य हैंडलिंग कॉस्ट माइनस करने के बाद लाभ, माइनस वारंटी लागत माइनस सेल्स और मार्केटिंग खर्च।

5.3 घरेलू मूल्य-वर्धन के प्रतिशत का परिकलन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दी गई जानकारी के आधार पर किया जा सकती है:

घरेलू मूल्य-वर्धन का प्रतिशत = (डोम-बीओएम / कुल - बीओएम) x100

यह अनुशंसा की जाती है कि आकलन करने वाली प्रत्येक एजेंसी को उपरोक्त सूत्रों के कम से कम दो का उपयोग करके घरेलू स्थानीय सामग्री / मूल्य-वर्धन का परिकलन करना चाहिए ताकि इस संबंध में आकलन को मान्य किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि दावा किया गया घरेलू मूल्य अनुरूप हो।

6. **स्थानीय सामग्री / घरेलू मूल्य-वर्धन का सत्यापन**

क. टेंडर, बिडिंग या सॉलिसिटेशन के समय स्थानीय आपूर्तिकर्ता स्व-प्रमाणन प्रदान करेगा कि प्रस्तुत की गई वस्तु न्यूनतम स्थानीय सामग्री से मिलती है और उस स्थान का विवरण देगा, जहाँ स्थानीय मूल्य-वर्धन किया गया है।
ख. 10 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की खरीद के मामलों में, स्थानीय आपूर्तिकर्ता स्थानीय सामग्री की प्रतिशतता देते हुए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक या लागत लेखा परीक्षक (कंपनियों के मामले में) या एक पेशेवर लागत लेखाकार से या पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा (कंपनियों के अलावा अन्य आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में)।
ग. सामान्य नियम 175 (1) (i) (एच) के तहत झूठी घोषणाएं सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन होगा जिसके लिए एक बोलीदाता या उसके उत्तराधिकारियों को ऐसी अन्य कार्रवाइयां, जो कानून के तहत स्वीकार्य हो सकती हैं के साथ-साथ वित्तीय नियमों के नियम 151 (iii) के अनुसार दो साल के लिए वंचित किया जा सकता है।

7. डीआईपीपी ऑर्डर 2017 (संशोधन) के खंड 13 के संदर्भ में, आपूर्तिकर्ता को अधिसूचित न्यूनतम स्थानीय सामग्री को पूरा करने से छूट दी जा सकती है यदि उत्पाद विदेशी सहयोग/ एक विदेशी निर्माता से लाइसेंस के तहत भारत में निर्मित किया जा रहा है जो बौद्धिक संपदा का

अधिकार रखता है और जहां स्थानीय सामग्री में वृद्धि के स्पष्ट चरणबद्ध तरीके से विदेशों में विकसित उत्पाद के स्वदेशी निर्माण के लिए एक प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता है।

8. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय मोटर वाहन उत्पाद अधिसूचना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय होगा।

(अमित वरदान)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23061858

नई दिल्ली, दिनांक: 04-05-2020

प्रति:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग
2. मंत्रिमंडल सचिवालय
3. प्रधान मंत्री कार्यालय
4. नीति आयाग
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
6. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, भारी उद्योग विभाग
7. संयुक्त सचिव (डीआईपीपी), सार्वजनिक खरीद आदेश 2017 की स्थायी समिति के सदस्य-संयोजक
8. आंतरिक वितरण

(अमित वरदान)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23061858